इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी 2012—फाल्गुन 9, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश

मोतीमहल, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 28 फरवरी 2012

शुद्धि-पत्र

पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय लायसेंसों का टेण्डर द्वारा निष्पादन

क्र. 6(स)पापी-12-13-90.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 फरवरी 2012 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 67, दिनांक 15 फरवरी 2012 द्वारा अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय लायसेंसों का टेण्डर द्वारा निष्पादन तथा अन्य जिलों में पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के लायसेंसों के निष्पादन संबंधी व्यवस्था वर्ष 2012-13 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

(1) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित उक्त विज्ञप्ति में दी गई तहसीलवार पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के पी.एस. 2 एवं पी.एस. 3 लायसेंसों के समूह पर टेण्डर आमंत्रित करने एवं राजस्व हित में आवश्यकतानुसार पूरे जिले के पॉलीस्ट्रा (डोड़ाचूरा) के थोक एवं फुटकर विक्रय के (पी.एस.-2 एवं पी.एस.-3) लायसेंसों के समूह पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की पूर्व स्वीकृति से टेण्डर प्राप्त किये जाने की व्यवस्था समाप्त की जाती है.

प्रदेश के अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच एवं रतलाम में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय पी.एस. 2 लायसेंसों का निष्पादन, लायसेंसवार पृथक्-पृथक् टेण्डर आमंत्रित कर दिनांक 27, 28 एवं 29 फरवरी 2012 के स्थान पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जावेगा :—

निष्पादन कार्यक्रम व स्थल

क्र.	नाम जिला	निष्पादन स्थल	टेण्डर प्रपत्र विक्रय की अवधि व समय	टेण्डर प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	टेण्डर प्रपत्र खोलकर निष्पादन की कार्यवाही की तिथि व समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जिला मन्दसौर	जिला आबकारी कार्यालय, मन्दसौर	दिनांक 1 मार्च 2012 से दिनांक 13 मार्च 2012 तक कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस पर.	14 मार्च 2012 अपराह्न 2.00 बजे तक.	14 मार्च 2012 अपराह्न 3.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक.
2	जिला नीमच	कलेक्टोरेट, नीमच	दिनांक 1 मार्च 2012 से दिनांक 14 मार्च 2012 तक कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस पर.	15 मार्च 2012 अपराह्न 2.00 बजे तक.	15 मार्च 2012 अपराह्न 3.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक.
3	जिला रतलाम	जिला आबकारी कार्यालय, रतलाम	दिनांक 1 मार्च 2012 से दिनांक 15 मार्च 2012 तक कार्यालयीन समय में किसी भी कार्य दिवस पर.	16 मार्च 2012 अपराह्न 2.00 बजे तक.	16 मार्च 2012 अपराह्न 3.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक.

सील्ड टेण्डर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के कार्यालय में तथा उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन के कार्यालय में भी टेण्डर प्रपत्र खोलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक जमा किये जा सकेंगे. पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय लायसेंसों के निष्पादन की अन्य शर्तें एवं निर्बन्धन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 15 फरवरी 2012 एवं शुद्धि-पत्र दिनांक 21 फरवरी 2012 के अनुसार ही रहेंगे.

एस. के. वेद, आबकारी आयुक्त.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.